(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 35/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टायरों के लिए टायर क्युरिंग प्रेस जिसे टायर वलकानाईजर्स अथवा टायरों के लिए रबड प्रोसेसिंग मशीनरीज भी कहा जाता है, जिसमें क्यूरिंग बाईसाईकिल टायरों के लिए 6 डे लाइट बाईसाईकिल टायर्स क्यूरिंग प्रेसों शामिल नहीं है" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के 8477 51 00 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/37/2020-डीजीटीआर, दिनांक 26 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 26 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2021 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया है ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंक, अक्षर और शब्द “30 सितम्बर, 2021” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “30 नवम्बर, 2021” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/69/2021-टीओ (टीआरयू-।)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 362 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।